



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 कार्तिक, 1946 (श०)

संख्या - 725 राँची, गुरुवार, 14 नवम्बर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

20 सितम्बर, 2024

संख्या-4/न्यायालय-1004/2023 का० 5969--W.P.(S) No. 6620/2023 मनोज कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-19.02.2024 को पारित न्यायादेश की कंडिका-6, 7 एवं 8 निम्नवत् है:-

- 6 Accordingly, this writ petition is disposed of enabling the petitioner to approach the respondent no. 3 by filing a detailed representation along with the copy of the writ record within a period of 15 days from today.
- 7 Upon filing of such representation, the respondent no. 3 shall pass a reasoned order after granting an opportunity of hearing to the petitioner and also taking into consideration the case of similarly situated persons whose details be mentioned in the representation itself.

- 8 The reasoned order be passed within a period of three months from the date of production of a copy of this order and be communicated to the petitioner through speed post. It is incumbent upon the respondent no. 3 to take care of all the applicable guidelines and circulars and this Court has not gone into the merit or otherwise and with regard to the claim of the petitioner.

2. उसी तरह W.P.(S) No.-133/2024 पप्पु कुमार एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक- 11.03.2024 को पारित न्यायादेश की कंडिका-6 एवं 7 निम्नवत् है:-

- 6 I, therefore, direct the petitioners to file a fresh representation along with copy of this order and other documents on which they are relying upon before the respondent concerned within a period of four weeks. On receipt of the same, the respondent concerned shall consider it and pass a reasoned order thereon taking into account the judgment passed in the case of W.P.(C) No. 3115 of 2015, also considering the fact that the similarly situated persons have been granted promotion, within a period of eight weeks thereafter.

- 7 Needless to say that if it is found that the petitioners were entitled for grant of promotion, a formal order to that effect shall be passed within a further period of three weeks. If the case of petitioners is turned down for one or other reasons, the same be communicated to her, within the said period.

3. उक्त W.P.(S) No. 6620/2023 तथा W.P.(S) No.133/2024 वाद में पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री मनोज कुमार सिंह एवं 07 (सात) अन्य सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों द्वारा क्रमशः दिनांक-01.10.2012 एवं 27.08.2015 से भूतलक्षी प्रभाव से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति करने हेतु आवेदन दिया गया।

4. उक्त प्राप्त आवेदन के क्रम में दिनांक-28.05.2024 की सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2074 दिनांक-04.04.1985 के आलोक में निम्नांकित कर्मियों को झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के वरीय सचिवालय सहायक कोटि से झारखण्ड सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक रूप से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति किये जाने निमित्त निम्नवत् अनुशंसा की गई:-

क्र०	पदाधिकारी का नाम / पदस्थापन एवं वरीयता क्रमांक	जन्म तिथि से०नि० की तिथि	विपत्र लिपिक/टंकक के पद पर योगदान एवं सम्पुष्टि की तिथि	आरक्षण रोस्टर बिन्दु जिसके विरुद्ध प्रोन्नति अनुशंसित है	समिति की अनुशंसा
1	2	3	4	6	7
1	श्री मनोज कुमार सिंह, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, अभियोजन निदेशालय, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची (वरीयता क्र०-215)	<u>01.03.1977</u> 28.02.2037	<u>29.08.1997</u> 29.08.2000	अनारक्षित	दिनांक 01.10.2012 को इनसे कनीय कर्मी के समान झारखण्ड सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (पी.बी.-II, पे० बैंड रु० 9300-34800/- ग्रेड पे० रु० 4600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-7) के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के योग्य।
2	श्री राज कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची । (वरीयता क्र०- 217)	<u>08.07.1975</u> 31.07.2035	<u>07.02.1997</u> 07.02.2000	अनारक्षित (अनुसूचित जाति)	दिनांक 27.08.2015 को इनसे कनीय कर्मी के समान झारखण्ड सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (पी.बी.-11. पे० बैंड रु० 9300-34800/- ग्रेड पे० रु० 4600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-7) के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के योग्य।
3	श्री अनिल कुमार दास, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची (वरीयता क्र०- 236)	<u>04.01.1974</u> 31.01.2034	<u>20.07.1998</u> 20.07.2001	अनारक्षित (अनुसूचित जाति)	

4	श्री सुग्रीव कुमार सिंह, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, राँची। (वरीयता क्र0-241)	<u>15.04.1978</u> 30.04.2038	<u>25.09.1998</u> 26.09.2001	अनारक्षित	
5	श्री ब्रजेश कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मुख्य अभियन्ता कार्यालय, जल संसाधन विभाग झारखण्ड, (वरीयता क्र0-248)	<u>01.03.1980</u> 29.02.2040	<u>13.07.1999</u> 13.07.2002	अनारक्षित	
6	श्री राजेश कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राँची प्रक्षेत्र राँची । (वरीयता क्र०- 250)	<u>25.03.1974</u> 31.03.2034	<u>29.12.1999</u> 29.12.2002	अनारक्षित	
7	श्री पप्पु कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची (वरीयता क्र0-262)	<u>10.05.1977</u> 31.05.2037	<u>13.03.2000</u> 13.03.2003	अनारक्षित	
8	श्री मनोज कुमार सिन्हा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, राँची (वरीयता क्र०- 263)	<u>01.03.1979</u> 28.02.2039	<u>14.03.2000</u> 13.03.2003	अनारक्षित	

5. विभागीय पत्रांक-1863 दिनांक-26.02.2015 एवं पत्रांक-4786 दिनांक- 01.06.2015 द्वारा हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा दी जाने वाली सभी उपाधियों की मान्यता दिनांक- 26.06.2014 के प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया। उपर्युक्त सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी दिनांक-26.06.2014 के पूर्व हिन्दी विद्यापीठ, देवघर से साहित्यालंकार की परीक्षा उत्तीर्ण हैं।

6. विभागीय पत्रांक-3475 दिनांक-15.06.23 के द्वारा कार्मिक विभागीय पत्रांक-1863 दिनांक-26.02.2015 एवं विभागीय पत्रांक-4786 दिनांक-01.06.2015 को निरस्त करते हुए दिनांक- 26.02.2015 एवं इसके पूर्व हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा निर्गत उपाधियों को नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिए मान्यता प्रदान की गई है।

7. उल्लेखनीय है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-265 दिनांक-01.10.2012 द्वारा 37 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को प्रोन्नति के द्वारा नियुक्त किया गया है। श्री मनोज कुमार सिंह का नाम झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के

वरीयता सूची में शामिल नहीं होने के फलस्वरूप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति नहीं हो सकी। जबकि उनसे कनीय श्री प्रकाश कुमार वर्मा (पुरानी वरीयता क्रमांक-201, नई वरीयता क्रमांक-218) को सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की गई।

8. कार्मिक विभागीय पत्रांक-13979 दिनांक-21.12.2012 द्वारा श्री मनोज कुमार सिंह को नियुक्ति/समायोजन की तिथि दिनांक-29.08.1997 से झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा, 2010 के अन्तर्गत वरीयता सूची में शामिल करते हुए कोटि क्रमांक-198 'A' (नई वरीयता क्रमांक-215) निर्धारित किया गया। वरीयता निर्धारित होने के उपरान्त वर्ष-2014 तक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई नहीं हुई तथा वर्ष 2015 में साहित्यालंकार की मान्यता रद्द हो जाने के कारण प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति से वंचित रह गये।

9. कंडिका-4 की तालिका के क्रमांक- 2 से 8 पर अंकित कर्मियों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति है कि ये सभी दिनांक-01.10.2012 को सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यता (जैसे-विहित कालावधि अथवा शैक्षणिक योग्यता) नहीं रखते थे।

10. विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-244 दिनांक-27.08.2015 द्वारा 27 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होने के कारण प्रोन्नति के द्वारा नियुक्त किया गया। जबकि इन कर्मियों को विभागीय पत्रांक-1863 दिनांक-26.02.2015 द्वारा हिन्दी विद्यापीठ, देवघर से निर्गत मान्यता को समाप्त कर दिये जाने के कारण वर्ष-2015 में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति नहीं की गई।

11. ये सभी आवेदक दिनांक-27.08.2015 को सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता को छोड़कर अन्य आवश्यक योग्यता धारित करते थे। कालान्तर में अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होने के पश्चात् विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-168 दिनांक-11.12.2020 द्वारा श्री मनोज कुमार सिन्हा एवं श्री ब्रजेश कुमार को तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-7095 दिनांक-16.11.2022 द्वारा श्री मनोज कुमार सिंह, श्री अनिल कुमार दास, श्री पप्पु कुमार एवं श्री राजेश कुमार को सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया।

12. श्री सुग्रीव कुमार सिंह एवं श्री राज कुमार को हिन्दी विद्यापीठ, देवघर से दिनांक-26.02.2015 से पूर्व निर्गत उपाधियों को नियुक्ति एवं प्रोन्नति में मान्य किये जाने के पश्चात् विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-04 दिनांक-19.01.2024 द्वारा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के द्वारा नियुक्त किया गया।

13. उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य एवं दिनांक-28.05.2024 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त कंडिका-4 की तालिका में अंकित कर्मियों को इनसे कनीय कर्मों के समान स्तम्भ-3 में अंकित तिथि से झारखण्ड सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (पी.बी.-II, पे. बैण्ड रुपये 9300-34800/-, ग्रेड पे. रुपये 4600/-, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-7) के पद पर वैचारिक रूप से प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किया जाता है :-

क्र.	पदाधिकारी का नाम/पदस्थापन एवं वरीयता क्रमांक	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर वैचारिक प्रोन्नति प्रदान किये जाने की तिथि
1	2	3
1	श्री मनोज कुमार सिंह, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, अभियोजन निदेशालय, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची। (वरीयता क्र०-215)	दिनांक 01.10.2012
2	श्री राज कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची। (वरीयता क्र०-217)	दिनांक 27.08.2015
3	श्री अनिल कुमार दास, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची (वरीयता क्र०-236)	दिनांक 27.08.2015
4	श्री सुग्रीव कुमार सिंह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, राँची। (वरीयता क्र०-241)	दिनांक 27.08.2015
5	श्री ब्रजेश कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मुख्य अभियन्ता कार्यालय, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड। (वरीयता क्र०-248)	दिनांक 27.08.2015
6	श्री राजेश कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राँची प्रक्षेत्र राँची। (वरीयता क्र०-250)	दिनांक 27.08.2015
7	श्री पप्पु कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची। (वरीयता क्र०-262)	दिनांक 27.08.2015
8	श्री मनोज कुमार सिन्हा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, राँची। (वरीयता क्र०- 263)	दिनांक 27.08.2015

14. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनिल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव।
